न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी--श्री महेन्द्र लोढ़ा

निगरानी संख्या 75/17 तारीख रजू-- 08/09/17

1-- शंकर पुत्र माधो जाति नाथ निवासी ग्राम पाली तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर।
2-- गोपाल पुत्र माधो जाति नाथ निवासी ग्राम पाली तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर।
3-- कमलेश पत्नि शंकर जाति नाथ निवासी ग्राम पाली तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर।
4-- राजी पत्नि शंभु जाति नाथ निवासी ग्राम पाली तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर।

--------निगरानी गुजार (प्रार्थी)

बनाम

1-- संरपच ग्राम पंचायत पाली।
2-- रधुवीर गुर्जर पुत्र श्री रामस्वरूप गुर्जर उम्र 25 साल जाति गुर्जर निवासी ग्राम पाली तह0 खण्डार जिला सवाई माधोपुर ।

--अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक-- 24/8/18

प्रार्थीगण ने यह निगरानी प्रार्थनापत्र ग्राम पंचायत पाली के पट्टा सं0 72 में पारित निर्णय दिनांक 20/12/09 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त निर्णय द्वारा ग्राम पंचायत पाली ने अप्रार्थी संख्या 2 के हक में पट्टा जारी किया है। निगरानीगुजार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत द्वारां पट्टा सं0 72 में पारित निर्णय दिनांक 20/12/2009 निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया है।

निगरानी न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर से स्थानान्तरण होकर वास्ते तलबी मूल अभिलेख न्यायालय हाजा में प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा मूल अभिलेख प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील निगरानी गुजार (प्रार्थीगण) ने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे निवेदन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा खं0नं0 315 में से अप्रार्थी संख्या 2 को पट्टा जारी कर दिया गया है। खं0नं0 315 सरकारी गै0मु0तलाई है। जिसमें ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का कोई हक नहीं है। उक्त खं0नं0 315 का उपयोग प्रार्थीगण द्वारा आवागमन हेतु किया जाता रहा है। दिनांक 29/06/14 को पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार खं0नं0 315 आबादी भूमि में दर्ज नहीं है तथा ग्राम पचायत को आबादी भूमि में ही पट्टा जारी करने का अधिकार है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा गलत पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करते हुए अदालत मातहत द्वारा पट्टा सं0 72 में पारित निर्णय दिनांक 20/12/09 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस निवेदन किया है कि खं0न0 315 की किस्म गै0मु0तलाई है। इस संबंध में निगरानीगुजार द्वारा कोई साक्ष्य, सबूत व राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे स्पष्ट हो सके कि खं0नं0 315 की किस्म गै0मु0तलाई है तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा उप पंजीयक द्वारा रजिस्टर्ड है तथा रजिस्टर्ड पट्टा खारिज करने का

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अधिकार अदालत हाजा को नहीं है। अतः निगरानीगुजार की निगरानी अस्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20/12/2009 यथावत रखने का निवेदन किया गया ।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि उक्त वाद आराजीयात का पट्टा रजिस्टर्ड है एव रजिस्टर्ड पट्टा खारिज करने का अधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है। अतः मेरे अभिमत मे निगरानीगुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार योग्य पाई जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरीन गुजार द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार खण्डार को निर्णय की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त वाद आराजीयात की जांच करें तथा उक्त वाद आराजीयात की किस्म गै0मु0तलाई पाई जाती है तो नियमानुसार सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 24.8.18 को लिखया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर